

प्रथम

श्री आशिष मंडली,  
संयुक्त अधिव्यक्ति,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राज्य  
आदिवासी माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा सेक्टर 2 कानपुर जिला,  
प्रति विहार नई दिल्ली ।

विधा 173 अनुदान

संख्या: दिनांक:

10 नव, 1999

विषय:- आदि विद्या मन्दिर कानपुर को सी0बी0एस0की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनारक्षित प्रदान करने दिव्योचना ।

संदर्भ

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कले का निदेश प्राप्त हुआ है कि आदि विद्या मन्दिर कानपुर को सी0बी0एस0की नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनारक्षित प्रदान करने दिवे जाने में राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आवश्यकता है :-

- 11) विद्यालय की संशुद्धता की जांच का समय पर अंतिमकरण कराया जायेगा ।
- 12) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहने और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से उच्च शैक्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद/शैक्षिक कार टि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट अकादमी, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता क्या राज्य सरकार से अनुदान स्वतः सम्पन्न हो जायेगी ।
- 15) संस्था के शिक्षक एवं शिक्षितर कर्मचारियों को राज्यीय तहानता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16) कर्मचारियों की सेवा नहीं कायी जायेगी और उन्हें तहानता प्राप्त अनासुचित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

आशिष मंडली  
संयुक्त अधिव्यक्ति  
उत्तर प्रदेश शासन

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी उचित विवेक विवे  
बादने, संस्था उनका ध्यान लेवे ।

18। विद्यालय का रिजर्व निर्धारित फुल/बॉन्डिंग में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुनर्विचार के बिना कोई परिवर्तन/  
संशोधन या तस्वीर नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिशतों का ध्यान करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और  
यदि किसी समय यह बाधा पाला है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिशतों का ध्यान  
नहीं किया जा रहा है उक्त ध्यान करने में किसी प्रकार की कूट या छिपकिली  
करती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उपायार्थ प्रमाण पत्र वापस ले  
लिया जायेगा ।

भवदीय,

। प्रमुख अधिकारी।  
संयुक्त सचिव ।

सं० 2540111/15-7-1999 त्तिनां  
\*\*\*\*\*

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुकार्य एवं आवश्यक शर्तों हेतु प्रेषित :-

- 1- विद्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त विद्या निदेशक, केवावाट ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर ।
- 4- निरीक्षक, उच्च भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रमुख, महर्षि विद्या मन्दिर सुल्तानपुर ।

आशा है,

*Lower*

। प्रमुख अधिकारी।  
संयुक्त सचिव ।

*[Signature]*  
Principal  
Maharshi Vidya Mandir  
Yashpuram (Ahimane)  
Sultanpur - 228001